

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 214 / 2019-20

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
	आवेदक पौलुस मिंज पिता बेनजामिन मिंज , ग्राम-पहार टोली, तेतरा पोस्ट कोनबीर थाना – बसिया, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना संख्या संख्या</th><th>संख्या खाता</th><th>प्लॉट संख्या</th><th>रकबा (एकड़)</th><th>किस्म जमीन</th></tr><tr><td>तेतरा</td><td>143</td><td>39</td><td>2295</td><td>0.71 एकड़ में से 0.20 एकड़</td><td>टाड़</td></tr></table> चौहद्दी :- उत्तर – कोका लकड़ा का टाड़ । दक्षिण – पालकोट रोड पूरब – जुनास मिंज का टांड। पश्चिम – प्रकाश मिंज का टांड। जमीन विक्रेता की विवरणी आवेदक – पौलुस मिंज, पिता बेनजामिन मिंज , ग्राम- पहार टोली, तेतरा पोस्ट कोनबीर थाना – बसिया, जिला- गुमला (झारखण्ड) जमीन क्रेता की विवरणी क्रेता – संतोष लकड़ा पिता इसाक लकड़ा, ग्राम- तेतरा पहार टोली पो०- कोनबीर, थाना – बसिया जिला- गुमला	राजस्व ग्राम	थाना संख्या संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन	तेतरा	143	39	2295	0.71 एकड़ में से 0.20 एकड़	टाड़	
राजस्व ग्राम	थाना संख्या संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन									
तेतरा	143	39	2295	0.71 एकड़ में से 0.20 एकड़	टाड़									



प्रतिलिपिकर्ता

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

प्रिसेन्टदार

१९७२ के अधिनियम १ के

धारा १०(१) द्वारा अधिका

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता संतोष लकड़ा पिता इसाक लकड़ा, ग्राम- तेतरा पहार टोली पो0- कोनबीर, थाना - बसिया जिला- गुमला को राशि रुपये 60,000 (साठ हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता पड़ने पर आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक:- 13(ii) दिनांक:- 19/05/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ती दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक पौलुस मिंज पिता बेनजामिन मिंज , ग्राम- पहार टोली, तेतरा पोस्ट कोनबीर थाना - बसिया, जिला- गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)

